विविध प्रकरण सख्या 2021/020 लाजवंती बाई व अन्य बनाम गुरचरण सिंह व अन्य

04.08.2025

वकील उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया द्वारा एक दावा नम्बरी माल 20/2021 अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट वर्ष 2021 प्रस्तुत किया गया था इसके पश्चात इसी विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक दावा ओर रमेश कुमार आदि बनाम अमरजीत सिंह जिसका मुकदमा नं. 47/2022 अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 आर.टी एक्ट वर्ष 2022 में पेश किया गया है उक्त दोनो दावों में समान पक्षकार व विवादित आराजी भी समान है। इसलिए वादीया द्वारा जो वाद वर्ष 2021 में पेश किया गया है उक्त दोनों दावों में समान पक्षकार व विवादित आराजी भी समान है। इसलिए वादीया द्वारा जो वाद वर्ष 2021 में पेश किया हुआ है जो लम्बित है। इसी सम्बन्ध में अन्य पक्षकार द्वारा एक नया दावा अनवानी रमेश कुमार आदि बनाम अमरजीत सिंह आदि भी प्रस्तुत किया गया है। इसलिए नियमानुसार जो वाद में पेश किया जाता है वह वाद लम्बित रहता है और पक्षकारों को सुनकर गुण दोषो के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाता है। इसलिए वादीया का वाद पूर्व में पेश किया होने के कारण वादीया का वाद चलने योग्य है और रमेश कुमार आदि द्वारा जो वाद माननीय न्यायालय में लम्बित है उस वाद को स्थगित किया जावे तथा वादीया का वाद के साथ संलग्न किये जाने की कृपा की जावे। जिस पर वादी रमेश कुमार के अधिवक्ता द्वारा नो ओब्जेक्शन एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा भी नो ओब्जेकशन किया गया है।

पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता ह कि प्र.स. 20/2021 अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट अनवानी लांजवती बाई व अन्य बनाम गुरचरण सिंह व अन्य तथा प्र.स. 47/2022 अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 आर.टी एक्ट अनवानी रमेश कुमार आदि बनाम अमरजीत सिंह व अन्य में पक्षकार , विवादीत आराजी एंव अनुतोष समान है अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा दी स्वीकार किया जाता है वादीया द्वारा पहले प्रस्तुत वाद संख्या 2021/020 अन्तर्गत धारा 53, 88 आर टी ए अनवानी लांजवती बाई व अन्य बनाम गुरचरण सिंह व अन्य के साथ बाद में प्रस्तुत प्र.स. 47/2022 अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 आर.टी एक्ट अनवानी रमेश कुमार आदि बनाम अमरजीत सिंह व अन्य समेकित किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब राज्यपक्ष हेतु दिनांक 07.08.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:16 IST
Reason: SelfAttested